

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम — जहाजपुर (भीलवाडा)

बाबूलाल पिता अम्बालाल गुर्जर नि. गांगीथला वगैरह

बनाम

नारायण पिता भूरा गुर्जर नि. गांगीथला वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 673/23

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
21.06.23	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम तख्तपुरा प. ह. गांगीथला तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 50 रकबा 0.7527 हेक्टेयर, स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की तार्ईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन कियां सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एकट स्वीकार किया जाता है ग्राम ग्राम तख्तपुरा प. ह. गांगीथला तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 50 रकबा 0.7527 हेक्टेयर, स्थित भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक कुराडिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500 रु. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 21.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर(भीलवाडा)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

क/रीडर/2023/673/2023

दिनांक :-21.06.2023

त

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :- प्र. सं. 673/2023 अनवान बाबूलाल पिता अम्बालाल गुर्जर नि. गांगीथला शिवराज पिता सुरजमाल गुर्जर नि. गांगीथला बनाम नारायण पिता भूरा गुर्जर नि. गांगीथला सीताराम पिता रामदेव गुर्जर नि. गांगीथला आशाराम पिता रामदेव गुर्जर नि. गांगीथला नारायण पिता नंदा गुर्जर नि. गांगीथला रामप्रसाद पिता नंदा गुर्जर नि. गांगीथला रमेश पिता देबिलाल गुर्जर नि. गांगीथला प्रधान पिता देबिलाल गुर्जर नि. गांगीथला पोतु पिता देबिलाल गुर्जर नि. गांगीथला हीरा पिता देबिलाल गुर्जर नि. गांगीथला सरोज पिता देबिलाल गुर्जर रामकुवार पिता जयकिशन मीणा रतनपुरा फोरुलाल पिता जयकिशन मीणा रतनपुरा जालमा पिता जयकिशन मीणा रतनपुरा धर्मराज पिता जयकिशन मीणा नि. रतनपुरा महावीर पिता भवर लाल गुर्जर नि. रतनपुरा सत्यनारायण पिता भवर लाल गुर्जर नि. रतनपुरा देवराज पिता धर्मराज गुर्जर नि. रतनपुरा सायरी पिता धर्मराज गुर्जर नि. गांगीथला नंदलाल पिता धर्मराज गुर्जर नि. गांगीथला मस्तराम पिता धर्मराज गुर्जर नि. गांगीथला सुखदेव पिता धुकल गुर्जर नि. गांगीथला तहसीलदार जहाजपुर वगैरा की पत्थरगढी की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम तख्तपुरा प. ह. गांगीथला जहाजपुर में स्थित आ. न. 50 रकबा 0.7527 हेक्टेयर, स्थित की बसामलात ग्रान के पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक भूमि की उभय पक्षों की ते में पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक कुराडिया को कमीशनर नियुक्ति जाता है। कमीशनर फीस 500 रु. तय किये जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।